S. No	CONTENTS	Page No.
1.	**महत्वपूर्ण अंतिम तिथि**	4-6
2.	**जीएसटी एमनेस्टी स्कीम** • जीएसटी करदाताओं को राहत: लेट फीस माफ करने की योजना की अंतिम तारीख बढ़ी • अधिसूचना संख्या 32/2021-केन्द्रीय कर दिनांक 29.08.2021 • देय कर की राशी शुन्य होने पर लेट फीस • अधिसूचना संख्या 19/2021-केन्द्रीय कर दिनांक 01.06.2021	7-10
3.	**महत्वपूर्ण अधिसूचना** • अधिसूचना संख्या 32/2021- केंद्रीय कर,दिनांक 29.08.2021 • अधिसूचना संख्या 33/2021- केंद्रीय कर,दिनांक 29.08.2021 • अधिसूचना संख्या 34/2021- केंद्रीय कर,दिनांक 29.08.2021	11-12
4.	**जीएसटी में मिश्रित और संयुक्त आपूर्ति** • जीएसटी में मिश्रित आपूर्ति (मिक्स्ड सप्लाई) • जीएसटी में संयुक्त आपूर्ति (कम्पोज़िट सप्लाई) • संयुक्त और मिश्रित आपूर्तियों पर कर देयता का निर्धारण • संयुक्त आपूर्ति के मामले में आपूर्ति का समय • मिश्रित आपूर्ति के मामले में आपूर्ति का समय	13-18
5.	**कम्पोजीशन स्कीम** • जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम- महत्वपूर्ण प्रावधान • जीएसटी में कम्पोजीशन स्कीम में कर योग्य व्यक्ति	19-25

	• कौन से पंजीकृत व्यक्ति जीएसटी कम्पोजीशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते है • कम्पोजीशन स्कीम के तहत कम्पोजीशन कर की अधिकत्तम दरें • कम्पोजीशन स्कीम में कौन से जीएसटी विवरण (रिटर्न) फाइल करने होते हैं और उसकी अंतिम तिथि • महत्वपूर्ण नियत तारीख और फॉर्म • कम्पोजीशन स्कीम पर महत्वपूर्ण सवाल और जवाब	
6.	**महत्वपूर्ण सवाल और जवाब** • प्रश्न:-1 मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। उन्होंने जीएसटी का नंबर लिया हुआ था। अब मैं उनके बिजनेस को आगे चलाऊंगा। क्या मुझे नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? व पुराने जीएसटी नंबर पर उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा ? • प्रश्न:-2 मैं एक व्यापारी हूं। मैंने अपने व्यापार के लिए एक ट्रक खरीदा है, जो मेरे बनाए हुए माल को व्यापारियों तक पहुंचाएगा। क्या मुझे इस ट्रक खरीद का आईटीसी मिलेगा? • प्रश्न:-3 मैं एक कपड़े का व्यापारी हूं। मैं अपने व्यापार के लिए कार खरीदता हूं, तो क्या मुझे उसकी खरीद पर आईटीसी मिलेगा?	26-28

(1) महत्वपूर्ण अंतिम तिथि

	सितंबर-2021
10th सितंबर 2021	**जीएसटीआर-7** में काटे गया और जमा किया गया टीडीएस (TDS) का सारांश अगस्त माह 2021
10th सितंबर 2021	**जीएसटीआर-8** ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा जीएसटी से संबंधित एकत्रित किया गए (TCS) का सारांश अगस्त माह 2021
11th सितंबर 2021	**जीएसटीआर -1** (मासिक फाइलिंग) अगस्त माह 2021 (सालाना 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का टर्नओवर होने पर हर महीने रिटर्न भरना होगा)
13th सितंबर 2021	**जीएसटीआर-1 IFF** (Optional) (मासिक फाइलिंग) अगस्त 2021 For QRMP
13th सितंबर 2021	**जीएसटीआर -6** इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) की रसीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के वितरण (मासिक फाइलिंग) अगस्त 2021
20th सितंबर 2021	**जीएसटीआर-3B** (मासिक फाइलिंग) अगस्त 2021 (पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक के एग्रीगेट टर्नओवर के लिए)

सितंबर-2021	
20th सितंबर 2021	**जीएसटीआर-5** आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई और नॉन रेसीडेंट टैक्सेबल(non-resident taxable persons) व्यक्तियों द्वारा देय कर (मासिक फाइलिंग) अगस्त 2021
20th सितंबर 2021	**जीएसटीआर-5A** ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सर्विसेज (OIDAR) देने वाले के द्वारा आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई (मासिक फाइलिंग) अगस्त 2021
18 अक्टूबर 2021	**सीएमपी-08** कम्पोजीशन डीलर देय कर का सारांश प्रस्तुत करने और किसी तिमाही जुलाई से सितंबर 2021
जीएसटीआर-3B QRMP योजना का विकल्प चुनने वालों के लिए (तिमाही फाइलिंग) जुलाई से सितंबर 2021	
22 अक्टूबर 2021	केटेगरी "A" राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ।
24 अक्टूबर 2021	केटेगरी"B" राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए:

सितंबर-2021

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा, हरियाणा, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मेघालय, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, या ओडिशा या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और नई दिल्ली।

(2) जीएसटी एमनेस्टी स्कीम (GST Amnesty Scheme)

जीएसटी करदाताओं को राहत: लेट फीस माफ करने की योजना की अंतिम तारीख बढ़ी

वित्त मंत्रालय ने GST के तहत लेट फीस माफी योजना का लाभ उठाने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर अब 30 नवंबर, 2021 कर दिया है:- देखे **अधिसूचना संख्या 33/2021-केन्द्रीय कर,** पहले यह तारीख 31 अगस्त 2021 थी । योजना के तहत करदाताओं (Taxpayers) को मासिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कम शुल्क का भुगतान करना होगा ।

देखे अधिसूचना संख्या 33/2021-केन्द्रीय कर दिनांक 29.08.2021

सा.का.नि. .... (अ)- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 76/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसंबर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1253 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, नौवें और दसवें परंतुकों में, "अगस्त, 2021 के 31वें दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "नवंबर, 2021 के 30 वें दिन" अंको, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. सीबीआईसी -20006/24/2021- जीएसटी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना सं. 76/2018, दिनांक 31 दिसंबर 2018 को सा.का.नि. 1253(अ), दिनांक 31 दिसंबर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधित अधिसूचना सं. 19/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 01 जून 2021, जिसे सा.का.नि. 363 (अ), दिनांक 01 जून 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया था।